न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– चतुर्थ, मधेपुरा

B.P. No.-223/2026

Gwalpara P.S Case No-58/2023

उपस्थित :– रघुवीर प्रसाद
प्र0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV
व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा।

01. विजय कुमार उम्र करीब 41 वर्ष पिता उपेन्द्र यादव

साकिन –करहारा, वार्ड नं0–5,, थाना–ग्वालपाडा (अरार), जिला–मधेपुरा।

.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार.....प्रतिपक्षी

07.04.2026 **आवेदक अभियुक्त दिनांक 17/11/2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।** काराधीन अभियुक्त विजय कुमार पे0 उपेन्द्र यादव की ओर से दिनांक–11.03.2026 को बी.एन.एस.एस. की धारा–483 के अन्तर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन आज सुनवाई एवं आदेश हेतु निर्धारित है। मामले में मूल अभिलेख प्राप्त है। कार्यालय के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान लोक अभियोजक को दी गयी है।

जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए काराधीन अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्रीमति संध्या कुमारी का यह कथन है कि आवेदक अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष हैं। आवेदक अभियुक्त को इस वाद में झूठा फँसाया गया है। आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त हैं। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से दो आपराधिक इतिहास मुरलीगंज थाना कांड संख्या–385/2025 200/2024 दर्ज है। जिसमें वह जमानत पर हैं। आवेदक अभियुक्त दिनांक–17.11.2025 से काराधीन है। आवेदक अभियुक्त तथाकथित कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त का अग्रिम जमानत या नियमित जमानत आवेदन माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया और न ही लंबित है। अतः आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदक अभियुक्त के द्वारा दाखिल जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सपन कुमार वर्तमान में प्रखंड शिक्षक के रूप में उ0म0 विद्यालय, कलौतहा में पदस्थापित हैं। दिनांक–28.03.2023 को सूचक घर से विद्यालय से जा रहा था। समय करीब 09:00 बजे दिन में करहड़ा मोड़ के पास नहर पर पहुंचे तो देखे कि एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति मुंह पर काले रंग का गमछा बांधे हुए आ रहा था। जैसे ही सूचक नजदीक पहुँचे तो दोनों व्यक्ति रूकने का इशारा किया। सूचक एवं उसके एक अन्य साथी वहीं पर रूक गया। दोनों व्यक्ति सूचक को गाली–गलौज एवं मारपीट करते मोटरसाईकिल एवं उसके पॉकेट से मोबाइल तथा पर्स छीन लिया। जिसमें से एक व्यक्ति सूचक के मोटरसाईकिल से दक्षिण दिशा की ओर

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– चतुर्थ, मधेपुरा

B.P. No.-223/2026

Gwalpara P.S Case No-58/2023

07.04.2026

भाग गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक के द्वारा दो अज्ञात के विरूद्ध धारा–394 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मामले में आवेदक अभियुक्त अप्राथमिकी अभियुक्त हैं। मूल केस डायरी के पारा–26 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्त रौशन कुमार के स्वीकारोक्ति बयान से दोस्त के रूप में आया है। पूरक कांड दैनिकी के पारा–85 के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से आपराधिक इतिहास दर्ज है जो निम्न प्रकार है :– मुरलीगंज थाना कांड संख्या–99/2006, 139/2007, 191/2013, 107/2024 एवं 200/2023 दर्ज है। आवेदक अभियुक्त को मुरलीगंज थाना कांड सं0–385/2025 से इस वाद में रिमांड किया गया है। यद्यपि आवेदक आवेदक अभियुक्त का नाम सह–अभियुक्त के बयान से दोस्त के रूप में आया है और आवेदक अभियुक्त दिनांक 17/11/2025 जो लगभग तीन माह से अधिक दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों एवं आवेदक अभियुक्त के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त का नियमित जमानत आवेदन की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्त विजय कुमार की ओर की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन मो0 10,000/– रूपये के बंध–पत्र के दो समान राशि के प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत इस शर्त के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि **आवेदक अभियुक्त इस तरह की अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। आवेदक अभियुक्त के दोनों जमानतदार परिवार का सदस्य होगा।**

लेखापित
ह0/–
(रघुवीर प्रसाद)
प्र0 जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ
मधेपुरा